रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 24, 1982/फाल्गुन 5, 1903
No. 7] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 24, 1982/PHALGUNA 5, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1982

सं पी डब्ल्यू/पी ई बी-60/77.—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 24 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एस. के. वर्मा, आई.पी.एस. (एम. एच. 57) को पद भार ग्रहण करने की तारीख से अगला आदेश होने तक बम्बई पत्तन न्यास में मुख्य सतर्कता अधिकारी, नियुक्त करते हैं ।

डी. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 23rd February, 1982

NOTIFICATION

No. PW/PEB-60/77.—In exercise of the powers conferred on them by clause (a) of sub-section (1) of section 24 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government appoints Shri S. K. Verma, IPS (MH:57) as Chief Vigilance Officer, Bombay Port Trust with effect from the date he takes over charge of the post and until further orders.

D. K. JAIN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982